(42)

आयुक्त कार्यालय सागर से दि० 25-9-14 को प्राप्त

R.3418-III/14

B.O.R.

25 SEP 2014

117
26-09.14

न्यायालय श्रीमान राजस्व बोर्ड, ग्वालियर कैम्प, सागर (म०प्र०)

१- विजय कुमार गुप्ता आयु ५० वर्ष (
२- हरि नारायण आयु वर्ष (दोनों आत्मज
स्व० श्री मुन्नालाल गुप्ता, दोनों निवासी
सदर बाजार, सागर तहसील व जिला सागर —— आवेदकगण।
रिवीजन कर्तागण

।। बनाम ।।

अमित वल्द हरिओम केशरवानी निवासी
सदर बाजार, सागर (म०प्र०) —— अनावेदक। प्रति पुनरीक्षण कर्तागण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू०रा०सं०

न्यायालय तहसीलदार सागर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक २२-अ।७० वर्ष १२-१३ नाम पत्रकार अमित केशरवानी बनाम विजय कुमार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25/8/14 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत है ।

संक्षिप्त तथ्य एवं आधार

१- यहकि, अमित केशरवानी ने तहसीलदार के समक्ष ग्राम बहेरिया साहनी के ख०न० 17/3 रकबा 2.028 पर विजय कुमार वगैरह से कब्जा दिलाये जाने बावत् आवेदन पेश किया था जिसका नोटिस प्राप्त होने पर विजय कुमार व अन्य की ओर से न्यायालय के समक्ष पेश हुए ।

२- यहकि, वास्तविक मालिक काबिज वादग्रस्त भूमि का विजय कुमार एवं अन्य उसके परिवार के सदस्य है किन्तु दर्शगो व राज कुमार व श्रीकांत केशरवानी ने फर्जी रूप से फर्जी आदमी खड़ा करके एवं मृत व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके

-२

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3418–तीन/14 जिला– सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
2.03.16	आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक को समय समय पर आवाज लगवाई गई । कोई उपस्थित नहीं । अतः वह लगभग 10 पेशियों से अनुपस्थित होने के कारण तथा प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	